



अनुमोदित ठेकेदारों की सूची

सिगनल एंव दूरसंचार विभाग में पंजीकृत

1. व्यय संविदाए

1. सिगनल के कार्य

2. दूरसंचार के कार्य

2. राजस्व अर्जन— अलग सूची नहीं बनाई है।

मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ दिनांक 17.10.2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, कॉकण रेलवे अपने ऑप्टिक फायबर केबल की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर, “लीज अग्रीमेंट” व्यवस्था के माध्यम से मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से राजस्व अर्जित करता है।



इलेक्ट्रिकल सिगनलिंग का प्रावधान (आंतरिक एवं बाहरी) वर्ग के तहत आने
वाले कार्यों के लिये अनुमोदित ठेकेदारों की सूची

श्रेणी - "ए"

(₹ 50 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी - "बी"

(₹ 25 लाख से अधिक और ₹50 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी - "सी"

(₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी "डी"

(₹ 10 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

[शीर्ष पर वापस](#)



दूरसंचार और नेटवर्किंग वर्ग के तहत आने वाले कार्यों के लिये
अनुमोदित ठेकेदारों की सूची

श्रेणी - "ए"

(₹ 50 लाख से अधिक और ₹ 1 करोड़ तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी - "बी"

(₹ 25 लाख से अधिक और ₹ 50 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी - "सी"

(₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

श्रेणी "डी"

(₹ 10 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए)

क्र.	फर्म का नाम	पता
शून्य		

[शीर्ष पर वापस](#)